स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-305/17 श्र0सं0 16

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना/भागलपुर/मुजफ्फरपुर/दरभंगा/गया/बेगुसराय।
सहायक श्रमायुक्त, छपरा/पूर्णिया मुख्यालय कटिहार/मुंगेर/डालमियानगर(रोहतास)/सहरसा/बेतिया।
श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ-01/जहानाबाद/समस्तीपुर-01/औरंगाबाद/नवादा/भोजपुर(आरा)-01/मोतिहारी-01/नालन्दा(बिहारशरीफ)-01/सीवान-01/खगड़िया/मधुबनी-01/जमुई/वैशाली(हाजीपुर)-01/गोपालगंज/किशनगंज/सीतामढ़ी-01/अररिया-01/अरवल/बांका/भभुआ(कैमूर)/बक्सर/लखीसराय/मधेपुरा/शेखपुरा/शिवहर/सुपौल।

पटना, दिनांक:- 26-5-17

विषय:- (क) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण- मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230011030101) एवं **(ख)** मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230017890101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2965 दिनांक- 24.5.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में एक दिन का प्रशिक्षण शिविर के आयोजन हेतु निधि का समेकित आवंटन संलग्न अनुसूची-I के अनुसार किया जाता है ।

2. उक्त प्रशिक्षण शिविर का आयोजन **01 जून, 2017 से 15 जुलाई, 2017** के मध्य निश्चित रूप से कर ली जाय।

3. इस शिविर का नाम **''श्रम अधिकार दिवस''** होगा ।

4. यह आवंटन **व्यय शीर्ष (क)** के अन्तर्गत **विषयशीर्ष-0101.20.03 प्रशिक्षण व्यय** में ₹ 13,71,584/-एवं **विषयशीर्ष-0101.20.02 कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला, सेमिनार** में ₹ 16,55,280/- अर्थात कुल आवंटित राशि ₹ 30,26,864/- (रूपये तीस लाख छब्बीस हजार आठ सौ चौसठ) तथा **(ख)** के अन्तर्गत **विषयशीर्ष-0101.20.03 प्रशिक्षण व्यय** में ₹ 5,86,960/-एवं **विषयशीर्ष-0101.20.02 कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला, सेमिनार** में ₹ 7,08,700/- अर्थात कुल आवंटित राशि ₹ 12,95,660/- (रूपये बारह लाख पनचानवे हजार छः सौ साठ) मात्र । **इस प्रकार (क)+(ख)** के अन्तर्गत **कुल आवंटित राशि ₹ 43,22,524/- (₹ तेतालिस लाख बाईस हजार पाँच सौ चौबीस) मात्र** वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि० दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

5. अनुसूची की कंडिका (ख) में अंकित व्यय शीर्ष में कुल मजदूरों की संख्या का 30 % अनुसूचित जाति के मजदूरों के लिए आवंटन दिया गया है । अगर अनुसूचित जाति के मजदूरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका भुगतान अनुसूची की कंडिका (क) में उल्लिखित उप शीर्ष में आवंटित राशि से किया जायेगा ।

6. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

7. आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

8. आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार जाँच कर किया जाय ।

9. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

10. यदि विषयशीर्ष-0101.20.02 कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला, सेमिनार से टेंट, शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, होडिंग आदि के लिए आवंटित राशि में अगर बचत होती है तो संबंधित उप श्रमायुक्त से आदेश प्राप्त कर उस राशि से सबसे पिछड़ी पंचायत/ Industrial Cluster जहाँ श्रमिक अधिक होते है वहाँ गाँव/पंचायत स्तर पर एक अतिरिकत शिविर का आयोजन करें ।

विश्वासभाजन,
25/05/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/17 श्र0सं0- 16 पटना, दिनांक 26-5-17

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/05/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-305/17 श्र0सं0- 16 पटना, दिनांक 26-5-17

*स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/***संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी**/निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ प्रशाखा-5, श्रम पक्ष/बजट शाखा, प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-05 द्वारा किया जायेगा ।

25/05/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-305/17 श्र0सं0- 16 पटना, दिनांक 26-5-17

*स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आपसे अनुरोध है कि शिविर आयोजन के दिन आप स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि को उक्त शिविर में भाग लेने हेतु, निदेश देना चाहेंगें ।

25/05/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-305/17 श्र0सं0- 16 पटना, दिनांक 26-5-17

प्रतिलिपि:- संबंधित सभी जिले के श्रम अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि जिला पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करके शिविर आयोजन हेतु तिथि का निर्धारण करेगें ।

25/05/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-305/2017 श्र0सं0- 16 पटना, दिनांक 26-5-17

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25/05/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

अनुसूची- I

			(क) मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101-ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन (विपत्र कोड-26-2230011030101) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष- 2017-18 में व्यय हेतु निधि का समेकित आवंटन की विवरणी				(ख)मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0101- ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन(विपत्र कोड-26- 2230017890101) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष- 201-18 में व्यय हेतु निधि का समेकित आवंटन की विवरणी					
क्र. सं.	जिला का नाम जहाँ प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा	कुल मजदूरों की संख्या (प्रति पंचायत एक मजदूर)	कुल मजदूरों (कॉलम 3) का **70%**	विषयशीर्ष-0101.20.03 प्रशिक्षण व्यय (न्यू॰ मजदूरी कृषि नियोजन दर ₹ 232/- प्रति मजदूर)	विषयशीर्ष-0101.20.02 कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला, सेमिनार (मार्ग व्यय अधिकतम ₹ 90/- दूरी के अनुसार तथा भोजन/नास्ता ₹ 100/- प्रति मजदूर एवं शेष शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, होडिंग आदि हेतु रू॰ 14000 प्रति शिविर)	योग (कॉलम 5+6)	कुल मजदूरों (कॉलम 3) का **30%**	विषयशीर्ष-0101.20.03 प्रशिक्षण व्यय (न्यू॰ मजदूरी कृषि नियोजन दर ₹ 232/- प्रति मजदूर)	विषयशीर्ष-0101.20.02 कॉन्फ्रेन्स, कार्यशाला, सेमिनार (मार्ग व्यय अधिकतम ₹ 90/- दूरी के अनुसार तथा भोजन /नास्ता ₹ 100/- प्रति मजदूर एवं शेष शामियाना, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, दरी, होडिंग आदि हेतु रू॰ 6000 प्रति शिविर)	योग (कॉलम 9+10)	कुल योग (कॉलम 7+11)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अररिया	218	153	35496	43070	78566	65	15080	18350	33430	111996	
2	अरवल	68	48	11136	23120	34256	20	4640	9800	14440	48696	
3	औरंगाबाद	203	142	32944	40980	73924	61	14152	17590	31742	105666	
4	बांका	185	130	30160	38700	68860	55	12760	16450	29210	98070	
5	भभुआ(कैमूर)	151	106	24592	34140	58732	45	10440	14550	24990	83722	
6	बेतिया	315	221	51272	55990	107262	94	21808	23860	45668	152930	
7	बेगूसराय	257	180	41760	48200	89960	77	17864	20630	38494	128454	
8	भोजपुर(आरा)	228	160	37120	44400	81520	68	15776	18920	34696	116216	
9	भागलपुर	242	169	39208	46110	85318	73	16936	19870	36806	122124	
10	बक्सर	142	99	22968	32810	55778	43	9976	14170	24146	79924	
11	दरभंगा	324	227	52664	57130	109794	97	22504	24430	46934	156728	
12	डालमियानगर (सासाराम)	246	172	39904	46680	86584	74	17168	20060	37228	123812	
13	गया	332	232	53824	58080	111904	100	23200	25000	48200	160104	
14	गोपालगंज	234	164	38048	45160	83208	70	16240	19300	35540	118748	
15	जहानाबाद	93	65	15080	26350	41430	28	6496	11320	17816	59246	
16	जमुई	153	107	24824	34330	59154	46	10672	14740	25412	84566	